# प्रैस नोट

## कार्यालय उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ऊना (हि॰प्र॰)

हिमाचल प्रदेश सरकार में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में कक्षा 1 से 10 तक सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अल्पसख्यक समुदायों के बच्चों तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों कें बच्चों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20.06.2017 तक अपने आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रधानाचार्य /मुख्याध्यापक /खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं। समस्त प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र व औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत ही आवेदन पत्र इस कार्यालय में 30.06.2017 तक जमा करवायें । प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृति सें वंचित न रहे इस का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस कार्यालय की बेबसाईट ddee una.in पर सम्पर्क करे ।

उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
ऊना जिला ऊना (हि० प्र०)

पृष्ठांकान संख्या : सम 13372 दिनांक 02/06/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी ऊना, हि.प्र. से अनुरोध है कि उक्त सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने की अनुकंम्पा करें ।

उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
ऊना जिला ऊना (हि० प्र०)

## प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश

## 1. वर्ष 2017–18 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय प्री0 मैट्रिक छात्रवृति हेतु आवेदन

हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में कक्षा 1 से 10 तक कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के online फार्म भरे जाने हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अर्न्तगत निम्नलिखित दरों पर प्री0 मैट्रिक छात्रवृति प्रदान करने के लिए समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/उच्च्तर शिक्षा के माध्यम से आधार नम्बर/बैंक खाता संख्या सहित् आवेदन आमन्त्रित किये जायेंगे ।

| क्र0 सं0 | वित्तीय सहायता का वितरण | छात्रावास में रहने वाले छात्रों कों छात्रवति दर। | दिवा छात्रों कों छात्रवति दर। |
|---|---|---|---|
| 1. अल्पसंख्यक | कक्षा पहली से पांचवी तक प्रवेश शुल्क | शून्य | 100/–रूपये प्रति मास दस माह के लिए |
| –यथो– | छठी से दसवीं तक प्रवेश शुल्क | 500/– रूपये प्रति वर्ष वास्तविकता के आधार पर | 500/– रूपये प्रति वर्ष वास्तविकता के आधार पर |
| –यथो– | छठी से दसवीं तक टयूशन शुल्क | 350/– रूपये प्रति वर्ष वास्तविकता के आधार पर दस माह के लिए | 350/– रूपये प्रति मासिक वास्तविकता के आधार पर दस माह के लिए |
| –यथो– | छठी से दसवीं रख रखाव निशुल्क | 600/– रूपये प्रतिव वास्तविकता के आधार पर | 100/–रूपये प्रति मास दस माह के लिए |

यह छात्रवति हिमाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्व, पारसी, व जैन) के बच्चों को देय होगी, तथा विद्यार्थियों के माता–पिता की वार्षिक आय 1.00/– लाख रूपये (एक लाख) रूपये से अधिक न हो व पिछली उर्त्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत् से अधिक अंक प्राप्त हों तथा 30 प्रतिशत छात्रवृतियॉ पात्र छात्राओं के लिए आरिक्षत रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप निम्न दूरभाष नम्बर 0177–2656183 व इन योजनाओं के प्रपत्र **National scholarship portal 2.0** की बेवसाईट पर शीघ्र उपलब्ध होगें।

निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक)
हिमाचल प्रदेश।

## प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश

## 2. अस्वच्छ व्यवसाय के बच्चों को प्री0 मैट्रिक छात्रवृति हेतु आवेदन

हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा ग्रहण कर रहे अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित दरों पर प्री0 मैट्रिक छात्रवृति प्रदान करने के लिए समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/उच्चत्र शिक्षा के माध्यम से आधार नम्बर/बैंक खाता संख्या सहित् आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।सम्बन्धित जिला के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा /उच्चतर शिक्षा के कार्यालय में यह आवेदन दिनांक 30–06–2017 तक पहुंच जाने चाहिए।

| योजना | वित्तीय सहायता का वितरण | तदर्थ अनुदान | दिवा छात्रों (Day Scholar) को छात्रवृति दर |
|---|---|---|---|
| अस्वच्छ व्यवसाय | कक्षा एक से दसवीं तक (अस्वच्छ व्यवसाय) में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों के लिए छात्रवृति | 750/– रूपये प्रतिवर्ष/वास्तविकता के आधार पर | 110/– रूपये प्रति दस माह के लिए |

यह छात्रवृति उन्ही बच्चों को देय होगी जिनके माता–पिता अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत है। छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला के उप शिक्षा निदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप निम्न दूरभाष नम्बर 0177–2656183 व इन योजनाओं के प्रपत्र इस निदेशालय की बेवसाईट himachal.nic.in/eleedu/form.html पर उपलब्ध है।

निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक)
हिमाचल प्रदेश।